**Parimal Nathwani**
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

**Member:**
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
**Permanent Special Invitee:**
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

B/107, Harmu Housing Colony,
P. O. Doranda,
P. S. Argora,
Ranchi - 834 012
Ph. : 0651-2244144
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

मीडिया रीलिज

## सत्ताधीशों द्वारा मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के खिलाफ़ राज्य सभा सांसद नथवाणीजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गए

---

## सत्ताधीशों द्वारा मानव गरिमा को पूरी तरह ताक पर रखकर बर्बरतापूर्वक और बेरहमी से कार्यवाही

---

*–परिमल नथवाणी*

**रांची : 04 मई 2011:** राज्य सभा सांसद श्री परिमल नथवाणी ने मानवाधिकार रक्षा कानून, 1993 की धारा 12 के अधीन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक विस्तृत शिकायत दर्ज की है। यह शिकायत इस्लामनगर, अलीनगर आदि स्लम एरिया को ढहा देने के लिए रांची रीजनल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (आर०आर०डी०ए०), रांची म्यूनसिपल कार्पोरेशन और पुलिस के खिलाफ है। आपने इस पूरे एपिसोड की तत्काल जांच कराने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध भी किया है।

अपनी शिकायत में श्री नथवाणी ने यह आरोप लगाया है कि सत्ताधीशों ने इतनी बर्बरता से अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया कि जिसमें एक शख्स तो मौके पर ही मारा गया, कई अन्य घायल हुए और एक दूसरा घायल शख्स चोट के कारण बाद में मर गया। आपने किस तरह गरीब लोगों को अपने घरों से उजाड़ कर खुले आकाश के नीचे ला दिया उसका दर्दनाक बयान अपनी शिकायत में आपने किया है।

श्री नथवाणी ने आयोग से अनुरोध किया कि पूरे घटनाक्रम के जांच का निर्देश दिया जाए और दोषियों के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करने के लिए सम्बद्ध पुलिस अधिकारियों से कहा जाए। आपने यह भी कहा कि आयोग बिना विलम्ब दोषियों को हिरासत में लेने के लिए निर्देश दे और जिन लोगों को बेदखल किया गया है उन्हें फिर से वहीं बसाने, उन्हें आश्रय देने और उन्हें खाना, पानी और चिकित्सा सहायता पहुंचाने का जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दे। आपने डिमोलिशन की कार्रवाई में बर्बरता से मारे गये और अपने घर/दुकानों के ढहाए जाने पर आघात से हार्टएटेक में मारे गए लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की बिनती की और घायलों को भी मुआवजा देने का अनुरोध किया।

श्री नथवाणी ने आयोग से इन मामलों को अग्रिमता देने और बिना विलम्ब आदेश जारी करने का अनुरोध किया।

अपनी शिकायत में आपने कहा कि इस्लामनगर में जहां मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है; वहां उन्होनें गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है और अपनी सांसद निधि से नहीं बल्कि अपने निजी फण्ड से वहां के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने हेतु अपनी स्वयं सेवी संस्था 'हॉप' के माध्यम से बहुमूल्य योगदान दिया है। आपने कहा कि यहां शिक्षा और स्वास्थ्य तथा आरोग्य के लिए आप लगातार प्रयत्नशील रहे।

फिर भी, आपने आगे कहा, मेरी अर्जी इस्लामनगर के उपरान्त नागाबाबा खटाल, हरमू नदी, मिल्लत कॉलोनी आदि के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करते लोगों के हित में भी है; कि जहां सत्ताधीशों ने बर्बरता और बेरहमी से धावा बोल दिया था।

श्री नथवाणी ने यह भी कहा कि हकीकत में अतिक्रमण का मामला तो शहर के उन बड़े भवनों से बनता है जो भवन निर्माण कानून और तत्सम्बन्धी नियमों–विनियमों को ताक पर रखकर खड़े किए गए हैं। अखबारों के समाचारों में भी इनका जिक्र है। उन गरीब लोगों के निवासों को गिराने की तो कोई बात हीं नहीं।

अपनी शिकायत में आपने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार, रांची म्युनसिपल कार्पोरेशन, आर०आर०डी०ए० और पुलिस ने तथाकथित अतिक्रमण हटाने की मुहीम के नाम पर बड़ी इमारतों और निर्माणों को, जो कि सभी नियमों को भंग कर के बनाए गए हैं, नहीं छूने का फैसला कर लिया था और सिर्फ गरीब लोगों को ही बेघर करने का मनसूबा बना लिया था।

श्री नथवाणी ने सत्ताधीशों की बर्बरता और बेरहमी का हवाला देते हुए यह बयान दिया। अपनी इस सोची–समझी योजना और मंशा को अंजाम देने के लिए सम्बद्ध सत्ताधीशों ने कानून अपने हाथ में लेकर कानूनी प्रक्रिया का अनादर करते हुए गरीबों के आवास हटाने की शुरूआत की, सख्ती, बल और हिंसा का सहारा लिया, लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन सत्ताधीशों ने इतनी बर्बरता भी जैसे कम हो, अंधाधुध फायरिंग की, कई लोगों को घायल किया और दो लोगों को जान से मार दिया। एक को वहीं ढेर किया, दूसरा बाद में मरा। पुलिस और अन्य लोग जो बल प्रयोग कर रहे थे उन्होंने जैसे ठान लिया था कि लोगों को मार ही डालेंगे क्योंकि जिन्हें गोलियां लगी हैं वह शरीर के नाजुक अंगों में लगी है, पांव में नहीं।

श्री नथवाणी ने कहा कि ये गरीब लोग 30 सालों से भी अधिक समय से वहां रहते थे और उन तमाम अधिकारियों ने उनके अस्तित्व एवम् आवासों को बिजली का कनेक्शन, राशन कार्ड व मतदाता कार्ड दे कर मान्यता प्रदान की थी। लेकिन सत्ताधीशों ने तमाम हदों को पार कर के बर्बरतापूर्ण रवैया अख्तयार किया और इन गरीब, बेबस व बेसहारा लोगों को अपने–अपने घरों से निकाल कर बुलडोजर चला दिये। सत्ताधीशों ने ऐसी जंगालियत दिखाई जैसे रात के

घने अंधेरे में कोई भेड़िया भेड़–बकरियों का शिकार करता हो। इन लोगों को अमानवीय ढंग से बेघर कर दिया गया, वहां बच्चे और औरतें भयग्रस्त हैं तथा उनके जीवन की सलामती और गरिमा तहस–नहस हो गई है।

श्री नथवाणी ने आयोग से जिन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी अपील की वे हैं : कोलापारा, मिल्लत कालोनी, हरिजन कालोनी, आदिवासी कालोनी, एच०ई०सी०, चुटिया, बरियातु, पहाड़ी टोला, सैनिक कालोनी आदि। आपने कहा कि इन बस्तियों को उचित समय, कामचलाऊ आश्रय और कायमी आश्रय का वचन दिये बिना न ढहाया जाए। उन्हें सरकार द्वारा शपथ लेकर भारत सरकार की नैशनल स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम या जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन जैसी योजनाओं के तहत कायमी आश्रय–स्थान प्रदान कराया जाए। आपने आगे यह भी कहा कि सैनिक कालोनी तो बहुत पुरानी है और वहां ज्यादातर बच्चे और औरतें ही रहते हैं क्योंकि घर का पुरूष वर्ग देश की पाकिस्तान व चीन की सरहदों की सुरक्षा में लगा है।

श्री नथवाणी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह शिकायत पत्र इसके अध्यक्ष श्री के०जी० बालाकृष्णन् और आयोग के अन्य सदस्यों के नाम 25 अप्रैल 2011 को भेजा है।

★★★